भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2301
मंगलवार, 06 अगस्त, 2024/8 श्रावण, 1946 (शक) को उत्तरार्थ

पीएसीएस द्वारा कॉमन सर्विस सेंटर

†2301. श्री हँसमुखभाई सोमाभाई पटेलः
श्री मितेश पटेल (बकाभाई):

क्या **सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;
(ख) पीएसीएस को कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के रूप में शामिल किए जाने की वर्तमान स्थिति क्या है; और
(ग) क्या सरकार ने पीएसीएस को शामिल करते हुए एक विकेन्द्रीकृत अनाज भंडारण कार्यक्रम को मंजूरी दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क): प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों (PACS) के सशक्तिकरण के लिए सहकारिता मंत्रालय द्वारा अनेक पहलें की गई हैं जिनमें निम्नलिखित पहल शामिल हैं:

i. पैक्स के लिए **आदर्श उपविधियां** तैयार की गई हैं जिससे वे डेयरी, मात्स्यिकी, पुष्पकृषि, गोदामों का निर्माण, खाद्यान्न प्रापण, उर्वरक, बीज, एलपीजी/सीएनजी/पेट्रोल/डीजल डिस्ट्रिब्यूटरशिप, आदि जैसे 25 से भी अधिक आर्थिक कार्यकलाप करके अपने व्यवसाय में विविधता ला सकते हैं;
ii. **कॉमन सेवा केंद्र (CSC) के रूप में पैक्स** ग्रामीण जनता को बैंकिंग, बीमा, आधार नामांकन/अद्यतन, स्वास्थ्य सेवाएं, कानूनी सेवाएं, आदि जैसी 300 से भी अधिक ई-सेवाएं प्रदान कर सकते हैं;
iii. **प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र के रूप में पैक्स** एक ही दुकान पर किसानों को उर्वरक, कीटनाशक और अन्य विभिन्न कृषि निविष्टियां प्रदान कर सकते हैं;
iv. **प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के रूप में पैक्स** ग्रामीण जनता को किफायती दाम पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक औषधि की उपलब्धता सुनिश्चित कर सकते हैं;

v. कंबाइंड कैटेगरी 2 (CC2) में शामिल करके **खुदरा पेट्रोल/डीज़ल आउटलेट के लिए पैक्स को प्राथमिकता** दी गई है;

vi. **पानी समिति के रूप में पैक्स** ग्रामीण नल जलापूर्ति योजना के अंतर्गत प्रचालन और रखरखाव की सेवाएं प्रदान कर सकते हैं**,** इत्यादि ।

सरकार द्वारा पैक्स सहित सहकारी समितियों के सशक्तिकरण के लिए की गई विभिन्न पहलों का ब्यौरा **अनुलग्नक-I** पर संलग्न है ।

(ख): 'कॉमन सेवा केंद्र के रूप में पैक्स' पहल के तहत देश की कुल 52,877 पैक्स को कॉमन सेवा केंद्र (CSCs) के रूप में ऑनबोर्ड किया जा चुका है, जिनमें से 37,169 पैक्स ने कॉमन सेवा केंद्र (CSCs) के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर दिया है । तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-II** पर संलग्न है ।

(ग): देश में अन्न भंडारण की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने दिनांक 31.05.2023 को "सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना" को अनुमोदन प्रदान किया, जिसे एक पायलट परियोजना के रूप में शुरू किया गया है । इस योजना में भारत सरकार की विभिन्न मौजूदा योजनाओं, जैसे कृषि अवसंरचना कोष (AIF), कृषि विपणन अवसंरचना योजना (AMI), कृषि यांत्रिकीकरण पर उपमिशन (SMAM), प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (PMFME), आदि के अभिसरण द्वारा पैक्स स्तर पर गोदाम, कस्टम हाइरिंग केंद्र, प्रसंस्करण इकाइयों, उचित मूल्य की दुकानों, आदि जैसी विभिन्न कृषि अवसंरचनाओं का निर्माण करना शामिल है। पायलट परियोजना के तहत, 11 राज्यों के 11 पैक्स में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC), नाबार्ड और नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज (NABCONS) की सहायता से गोदामों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।

*****

अनुलग्नक-I

सहकारिता मंत्रालय द्वारा की गई 54 पहलें

सहकारिता मंत्रालय ने दिनांक 6 जुलाई, 2021 को अपनी स्थापना के बाद से, देश में "सहकार से समृद्धि" की परिकल्पना को साकार करने और प्राथमिक से लेकर शीर्ष स्तर की सहकारी समितियों में सहकारी आंदोलन को सशक्त और मजबूत करने के लिए अनेक पहलें की हैं । इन पहलों की सूची और इनकी अब तक हुई प्रगति निम्नानुसार है:

क. <u>प्राथमिक सहकारी समितियों को आर्थिक रूप से जीवंत और पारदर्शी बनाना</u>

1. **पैक्स हेतु आदर्श (मॉडल) उपनियम जो उन्हें बहुउद्देशीय, बहुआयामी तथा पारदर्शी संस्थाएं बनाते हैं**: सरकार ने राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों, राष्ट्रीय स्तर के संघों, राज्य सहकारी बैंकों (StCBs), जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs), आदि सहित सभी हितधारकों के परामर्श से पैक्स के लिए आदर्श उपविधियां तैयार कर सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को परिचालित किया है, जो पैक्स को 25 से अधिक व्यावसायिक कार्यकलाप करने तथा अपने प्रचालन में पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार हेतु सक्षम बनाते हैं। महिलाओं और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देते हुए पैक्स की सदस्यता को अधिक समावेशी एवं व्यापक बनाने के भी उपबंध किए गए हैं । अब तक 32 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा आदर्श उपविधियां अपनायी गई हैं या उनकी मौजूदा उपविधियां आदर्श उपविधियों के अनुरूप हैं।

2. **कम्प्यूटरीकरण के माध्यम से पैक्स का सुदृढ़ीकरण:** पैक्स को सुदृढ़ करने हेतु 2,516 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय परिव्यय से कार्यशील पैक्स के कम्प्यूटरीकरण की परियोजना को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है जिसमें देश के सभी कार्यशील पैक्स को कॉमन ERP आधारित राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर पर लाकर राज्य सहकारी बैंकों (StCBs) तथा जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs) के माध्यम से नाबार्ड से लिंक करना शामिल है । इस परियोजना के अधीन 30 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के कुल 67,930 पैक्स अनुमोदित किए गए हैं । 28 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा हार्डवेयर की खरीद कर ली गई है । कुल 25,674 पैक्स को ERP पर ऑनबोर्ड कर लिया गया है और 15,207 पैक्स लाइव हो गए हैं ।

3. **अनाच्छादित पंचायतों में नई बहुउद्देशीय पैक्स/डेयरी/मात्स्यिकी सहकारी समितियों की स्थापना:** सरकार द्वारा नाबार्ड, एनडीडीबी, एनएफडीबी, एनसीडीसी और अन्य राष्ट्रीय स्तर के संघों के सहयोग से आगामी पांच वर्षों में प्रत्येक पंचायत/गांव को कवर करने के लिए नए बहुउद्देशीय पैक्स या प्राथमिक डेयरी/मात्स्यिकी सहकारी समितियां स्थापित करने की योजना को अनुमोदित किया गया है । राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के अनुसार राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में कुल 6,844 नए पैक्स, डेयरी और मात्स्यिकी सहकारी समितियों का पंजीकरण किया गया है ।

4. **सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी विकेन्द्रीकृत अन्न भंडारण योजना:** सरकार ने कृषि अवसंरचना कोष (AIF), कृषि विपणन अवसंरचना (AMI), कृषि यांत्रिकीकरण पर उपमिशन (SMAM), प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (PMFME), आदि विभिन्न योजनाओं के अभिसरण से पैक्स स्तर पर अन्न भंडारण के लिए गोदमों, कस्टम हायरिंग केंद्रों, प्राथमिक प्रसंस्करण

इकाइयों तथा अन्य कृषि-अवसंरचनाओं के निर्माण हेतु एक परियोजना को अनुमोदन दिया है । इससे खाद्यान्न की बर्बादी तथा परिवहन लागत में कमी आयेगी, किसानों को उनकी उपज की बेहतर कीमत प्राप्त हो सकेगी एवं पैक्स स्तर पर ही विभिन्न कृषि आवश्यकताएं पूरी हो सकेगी । पायलट परियोजना के तहत 11 राज्यों के 11 पैक्स में गोदामों का निर्माण किया गया है और अब इस पायलट परियोजना को 500 अतिरिक्त पैक्स में विस्तारित किया जा रहा है ।

5. **ई-सेवाओं की बेहतर पहुंच हेतु कॉमन सेवा केंद्र (CSC) के रूप में पैक्स:** पैक्स के माध्यम से बैंकिंग, बीमा, आधार नामांकन/अद्यतन, स्वास्थ्य सेवाएं, पैन कार्ड तथा आईआरसीटीसी/ बस/हवाई टिकट, आदि जैसी 300 से भी अधिक ई-सेवाएं प्रदान करने हेतु उन्हें सक्षम बनाने के लिए सहकारिता मंत्रालय, इलेक्ट्रोनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नाबार्ड तथा CSC ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है । अब तक 37,169 पैक्स ने ग्रामीण जनता को CSC सेवाएं प्रदान करना आरंभ कर दिया है जिसके परिणामस्वरूप इन पैक्स की आय में वृद्धि भी होगी ।

6. **पैक्स द्वारा नए किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) की स्थापना:** सरकार ने ऐसे ब्लॉक में जहां अब तक किसान उत्पादक संगठन स्थापित नहीं हुई है या ऐसे ब्लॉक जहां कोई कार्यान्वयन एजेंसी नहीं है, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) के सहयोग से पैक्स को 1,100 अतिरिक्त किसान उत्पादक संगठन स्थापित करने की अनुमति दी है । इसके अतिरिक्त, सहकारिता के क्षेत्र में एनसीडीसी द्वारा 992 किसान उत्पादक संगठन स्थापित किए गए हैं । इससे किसानों को आवश्यक बाजार लिंकेज उपलब्ध कराने और उन्हें अपनी उपज का उचित और लाभकारी मूल्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी ।

7. **खुदरा पेट्रोल/डीज़ल आउटलेट के लिए पैक्स को प्राथमिकता:** सरकार ने पैक्स को खुदरा पेट्रोल/डीज़ल आउटलेट के आवंटन के लिए कंबाइंड कैटेगरी 2 (CC-2) में शामिल करने की अनुमति प्रदान कर दी है । तेल विपणन कंपनियों (OMCs) द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार, 25 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के 270 से भी अधिक पैक्स ने खुदरा पेट्रोल/डीज़ल आउटलेट के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है ।

8. **पैक्स को थोक उपभोक्ता पेट्रोल पंप को खुदरा आउटलेट में परिवर्तित करने हेतु अनुमति:** पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श के आधार पर मौजूदा थोक उपभोक्ता लाइसेंस प्राप्त पैक्स को खुदरा आउटलेट में परिवर्तित होने के लिए दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं जिससे पैक्स के लाभ में वृद्धि होगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार के नए अवसर सृजित होंगे । 4 राज्यों के थोक उपभोक्ता पंप वाले 109 पैक्स ने खुदरा आउटलेट में परिवर्तित होने की सहमति दे दी है जिसमें से 43 पैक्स को इस संबंध में तेल विपणन कंपनियों (OMCs) से आशय पत्र (LOI) प्राप्त हो गया है ।

9. **पैक्स द्वारा अपनी गतिविधियों में विविधता लाने हेतु एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप की पात्रता:** सरकार ने अब पैक्स को एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप हेतु आवेदन करने की अनुमति प्रदान कर दी है । इससे पैक्स को अपनी आर्थिक कार्यकलाप को बढ़ाने का एक विकल्प प्राप्त होगा और ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार के नए अवसर सृजित होंगे । चार राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से कुल 31 पैक्स ने ऑनलाइन आवेदन दिए हैं ।

10. **ग्रामीण स्तर पर जेनेरिक औषधियों तक सुगम पहुंच हेतु जन औषधि केंद्र के रूप में पैक्स**: सरकार द्वारा पैक्स को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र (PMBJK) चलाने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है जिससे उन्हें आय के अतिरिक्त स्रोत प्राप्त होंगे और ग्रामीण जनता को जेनेरिक औषधियों तक सुगम पहुँच सुनिश्चित होगी । अब तक 4,341 पैक्स/सहकारी समितियों ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र (PMBJK) के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है जिसमें से 2,594 पैक्स को PMBI द्वारा आरंभिक अनुमोदन दिया जा चुका है और 674 पैक्स को राज्य ड्रग नियंत्रकों से ड्रग लाइसेंस प्राप्त हो गए हैं जो औषधि केन्द्र के रूप में कार्य करने के लिए तैयार हैं ।

11. **प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र (PMKSK) के रूप में पैक्स:** सरकार द्वारा देश में किसानों को उर्वरक और अन्य संबंधित सेवाएं आसानी से प्रदान करने के लिए पैक्स को प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र (PMKSK) के प्रचालन हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है । राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा साझा की गई सूचना के अनुसार 38,141 पैक्स, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र (PMKSK) के रूप में कार्य कर रहे हैं ।

12. **पैक्स के स्तर पर PM-KUSUM का अभिसरण:** पैक्स से जुड़े किसान सौर कृषि जल पंप अपना सकते हैं और अपने खेतों में फोटोवोल्टेक मॉड्यूल इंस्टॉल करा सकते हैं ।

13. **पैक्स द्वारा ग्रामीण नल जलापूर्ति योजनाओं का प्रचालन और रखरखाव (O&M) कार्य:** ग्रामीण क्षेत्रों में पैक्स की पहुंच का उपयोग करने के लिए सहकारिता मंत्रालय की पहल पर जलशक्ति मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्रों में नल जलापूर्ति योजनाओं के प्रचालन व रख-रखाव (O&M) कार्य के लिए पैक्स को पात्र एजेंसी के रूप में निर्दिष्ट किया है । राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार, 16 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा पंचायत/गांव के स्तर पर प्रचालन व रख-रखाव (O&M) सेवाएं प्रदान करने हेतु 1,833 पैक्स की पहचान की गई है/चयन किया गया है ।

14. **डोर-स्टेप वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए बैंक मित्र सहकारी समितियों को माइक्रो-एटीएम:** डेयरी और मात्स्यिकी सहकारी समितियों को जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs) और राज्य सहकारी बैंकों (StCBs) के बैंक मित्र बनाए जा सकते हैं । सुगम व्यवसाय, पारदर्शिता और वित्तीय समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए नाबार्ड के सहयोग से इन बैंक मित्र सहकारी समितियों को 'डोर-स्टेप वित्तीय सेवाएं" प्रदान करने के लिए माइक्रो-एटीएम दिए जा रहे हैं । पायलट परियोजना के रूप में गुजरात के पंचमहल और बनासकांठा जिले के बैंक मित्र सहकारी समितियों को लगभग 2,700 माइक्रो एटीम वितरित किए गए हैं । इस पहल को अब गुजरात राज्य के सभी जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है ।

15. **दुग्ध सहकारी समितियों के सदस्यों को रुपे किसान क्रेडिट कार्ड:** जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs) और राज्य सहकारी बैंकों (StCBs) की पहुंच के विस्तारण तथा डेयरी सहकारी समितियों के सदस्यों को आवश्यक तरलता प्रदान करने और तुलनात्मक रूप से निम्नतर ब्याज दरों पर ऋण प्रदान करने तथा अन्य वित्तीय लेनदेनों में सक्षम करने हेतु सहकारी समितियों के सदस्यों को रुपे किसान क्रेडिट कार्ड (KCCs) का वितरण किया जा रहा है । गुजरात के पंचमहल और बनासकांठा जिलों में अब तक 48,000 रुपे किसान क्रेडिट कार्ड (Rupay KCCs) वितरित किए गए हैं । इस पहल को अब गुजरात के सभी जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है ।

16. **मत्स्य किसान उत्पादक संगठनों (FFPO) की स्थापना**: मछुआरों को बाजार लिंकेज तथा प्रसंस्करण सुविधाएं प्रदान करने हेतु एनसीडीसी ने प्रारंभिक चरण में 69 FFPOs का पंजीकरण किया है। इसके अतिरिक्त मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने 225.50 करोड़ रुपये के अनुमोदित परिव्यय से एनसीडीसी को 1000 मौजूदा मात्स्यिकी सहकारी समितियों को FFPOs में रूपांतरित करने का कार्य सौंपा है।

ख. शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंकों का सशक्तिकरण

17. **शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) को व्यापार विस्तारण हेतु नई शाखाएं खोलने की अनुमति:** शहरी सहकारी बैंक (UCBs) अब आरबीआई की पूर्वानुमति के बिना पिछले वित्तीय वर्ष में मौजूदा शाखाओं की संख्या का 10% (अधिकतम 5) तक नई शाखाएँ खोल सकेंगे।

18. **भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) को अपने ग्राहकों को डोर-स्टेप सेवाएं प्रदान करने की अनुमति:** शहरी सहकारी बैंकों द्वारा अब डोर-स्टेप बैंकिंग सुविधा प्रदान की जा सकती है। इन बैंकों के खाताधारक अब अपने घर पर ही विभिन्न बैंकिंग सुविधाएं जैसे नकद निकासी एवं नकद जमा, केवाईसी, डिमांड ड्राफ्ट और पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र, आदि का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

19. **सहकारी बैंकों को वाणिज्यिक बैंकों की तरह बकाया ऋणों का वन टाइम सेटलमेंट करने की अनुमति:** सहकारी बैंक अब बोर्ड-अनुमोदित नीतियों के माध्यम से तकनीकी राइट-ऑफ करने के साथ-साथ उधारकर्ताओं के निपटान की कार्रवाई भी कर सकेंगे।

20. **शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) को प्राथमिक क्षेत्र उधार (PSL) लक्ष्य प्राप्त करने हेतु दी गई समय-सीमा में वृद्धि:** भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शहरी सहकारी बैंकों को PSL लक्ष्य की प्राप्ति हेतु दी गई समय-सीमा को दो वर्षों के लिए, अर्थात दिनांक 31 मार्च, 2026 तक बढ़ा दिया गया है।

21. **शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) के साथ नियमित संवाद हेतु आरबीआई में एक नोडल अधिकारी नामित:** सहकारिता क्षेत्र की गहन समन्वय और केंद्रित संवाद हेतु काफी समय से लंबित मांग को पूरा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने एक नोडल अधिकारी अधिसूचित किया है।

22. **भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ग्रामीण व शहरी सहकारी बैंकों के व्यक्तिगत आवासन ऋण की सीमा दोगुनी से अधिक की गई:**

    i. शहरी सहकारी बैंकों के आवासन ऋण की सीमा को अब 30 लाख रुपये से दोगुना कर 60 लाख रुपये कर दिया गया है।

    ii. ग्रामीण सहकारी बैंकों के आवासन ऋण सीमा को ढाई गुना बढ़ाकर 75 लाख रुपये कर दिया गया है।

23. **ग्रामीण सहकारी बैंक अब वाणिज्यिक रियल एस्टेट/रिहाइशी आवासन क्षेत्र को ऋण देने में सक्षम होंगे जिससे उनके व्यवसाय में विविधता आएगी:** इससे न केवल ग्रामीण सहकारी बैंकों को अपने व्यवसाय में विविधता लाने में सहायता प्राप्त होगी, बल्कि आवासन सहकारी समितियां भी लाभान्वित होंगी।

24. **सहकारी बैंकों के लिए लाइसेंस शुल्क घटाया गया:** सहकारी बैंकों को 'आधार सक्षम भुगतान प्रणाली' (AePS) में ऑनबोर्ड करने के लाइसेंस शुल्क को लेनदेन की संख्या से लिंक करके घटा दिया गया है। सहकारी वित्तीय संस्थानों को भी उत्पादन-पूर्व चरण में यह सुविधा पहले तीन महीनों में निःशुल्क प्राप्त होगी। इससे अब किसानों को बायोमेट्रिक्स द्वारा घर बैठे ही बैंकिंग सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी।

25. **ऋण वितरण में सहकारी समितियों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों (UCBs), राज्य सहकारी बैंकों (StCBs) और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs) को CGTMSE योजना में सदस्य ऋण संस्थान (MLI) के रूप में अधिसूचित किया गया:** सहकारी बैंक अब दिए जाने वाले ऋणों पर 85 प्रतिशत तक जोखिम कवरेज का लाभ उठा सकेंगे। साथ ही, सहकारी क्षेत्र के उद्यमों को भी अब सहकारी बैंकों से कोलैटरल- मुक्त ऋण मिल सकेगा।

26. **शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) को शामिल करने हेतु शेड्यूलिंग मानदंडों की अधिसूचना:** शहरी सहकारी बैंक जो 'वित्तीय सुदृढ़ और सुप्रबंधित' (FSWM) मानदंडों को पूरा करते हैं तथा पिछले दो वर्षों से टियर 3 के रूप में वर्गीकरण हेतु आवश्यक न्यूनतम जमा राशि बरकरार रखे हुए हैं, अब भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की अनुसूची II में शामिल होने के लिए पात्र हैं तथा 'अनुसूचित' का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं।

27. **स्वर्ण ऋण हेतु RBI द्वारा मौद्रिक सीमा दोगुनी की गई:** भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा PSL लक्ष्यों को पूरा करने वाले शहरी सहकारी बैंकों की मौद्रिक सीमा को 2 लाख रुपये से दोगुना कर 4 लाख रुपये कर दिया गया है।

28. **शहरी सहकारी बैंकों के लिए अंब्रेला संगठन:** भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र के लिए एक अम्ब्रेला संगठन (UO) की स्थापना हेतु नैशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसाइटीज लिमिटेड (NAFCUB) को मंजूरी दी गई है, जिससे लगभग 1,500 शहरी सहकारी बैंकों को आवश्यक सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना और प्रचालन सहायता प्राप्त हो सकेगी।

(ग) **<u>सहकारी समितियों को आयकर अधिनियम में राहत</u>**

29. **1 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक की आय वाली सहकारी समितियों के आयकर पर अधिभार को 12% से घटाकर 7% कर दिया गया है**: इससे सहकारी समितियों पर आयकर का भार कम होगा और उनके पास अपने सदस्यों के हित के लिए कार्य करने हेतु अधिक पूंजी उपलब्ध होगा

30. **सहकारी समितियों के न्यूनतम वैकल्पिक कर (MAT) को 18.5% से घटाकर 15% किया गया:** इस उपबंध से अब सहकारी समितियों और कंपनियों के बीच इस संबंध में समरूपता हो गई है।

31. **आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 269ST के अधीन सहकारी समितियों के लिए नकद लेनदेन में राहत:** आयकर अधिनियम की धारा 269ST के अधीन सहकारी समतियों द्वारा नकद लेनदेन में होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार ने एक स्पष्टीकरण जारी कर यह

स्पष्ट किया है कि किसी सहकारी समिति द्वारा अपने वितरक के साथ किसी एक दिन में किए गए 2 लाख रुपए से कम के नकद लेनदेन को पृथक माना जाएगा और उस पर आयकर जुर्माना नहीं लगाया जाएगा ।

32. **नई विनिर्माण सहकारी समितियों के लिए कर में कटौती:** सरकार ने निर्णय लिया है कि दिनांक 31.03.2024 तक विनिर्माण कार्य शुरू करने वाली नई सहकारी समितियों से अधिभार के साथ 30% तक के पूर्व दर की तुलना में 15% का सपाट निम्न कर-दर लगाया जाएगा । इससे विनिर्माण के क्षेत्र में नई सहकारी समितियों की स्थापना को प्रोत्साहन मिलेगा ।

33. **प्राथमिक कृषि क्रेडिट समिति (पैक्स) और प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (PCARDB) की नकद जमाराशि और नकद ऋण की सीमा में वृद्धि:** सरकार द्वारा प्राथमिक कृषि क्रेडिट समिति (पैक्स) और प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (PCARDB) द्वारा नकद जमा और नकद ऋणों की सीमा को प्रति सदस्य 20,000 रुपए से बढ़ा कर 2,00,000 रुपए कर दी गई है । इस उपबंध से उनके कार्यों को सुविधाजनक बनाएगा और उनके व्यवसाय में वृद्धि होगी तथा इन समितियों के सदस्य लाभान्वित होंगे ।

34. **सहकारी समितियों के लिए स्रोत पर कर कटौती (TDS) के बिना नकद निकासी की सीमा में वृद्धि**: सरकार ने सहकारी समितियों के लिए स्रोत पर कर कटौती किए बिना नकद निकासी की सीमा को 1 करोड़ रुपए प्रति वर्ष से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष कर दिया है । इस प्रावधान से सहकारी समितियों को स्रोत पर कर कटौती में राहत प्राप्त होगी जिससे उनकी चल निधि में वृद्धि होगी ।

घ. <u>सहकारी चीनी मिलों का पुनरुद्धार</u>

35. **सहकारी चीनी मिलों को आयकर से राहत**: सरकार ने एक स्पष्टीकरण जारी कर यह स्पष्ट किया है कि सहकारी चीनी मिलों को अप्रैल, 2016 से गन्ना किसानों को गन्ने के उच्चतर मूल्य का भुगतान करने पर उचित एवं लाभकारी मूल्य या राज्य सलाह मूल्य तक कोई अतिरिक्त कर नहीं देना पड़ेगा ।

36. **सहकारी चीनी मिलों के आयकर से संबंधित दशकों पुराने लंबित समस्याओं का समाधान**: सरकार ने अपने केंद्रीय बजट 2023-24 में यह प्रावधान किया है कि सहकारी चीनी समितियों को आकलन वर्ष 2016-17 से पूर्व गन्ना किसानों को किए गए भुगतानों को व्यय के रूप में दावा करने की अनुमति होगी जिससे उन्हें 10,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की राहत मिलेगी ।

37. **सहकारी चीनी मिलों के सशक्तिकरण हेतु 10,000 करोड़ रुपए की ऋण योजना का शुभारंभ:**: सरकार ने NCDC के माध्यम से एथनॉल संयंत्र या कोजेनरेशन संयंत्र स्थापित करने या कार्यशील पूंजी के लिए या फिर तीनों के लिए एक योजना आरंभ की है । NCDC द्वारा अब तक 36 सहकारी चीनी मिलों को 5746.76 करोड़ रुपए की ऋण राशि स्वीकृत की गई ।

38. **एथनॉल की खरीद में सहकारी चीनी मिलों को प्राथमिकता:** भारत सरकार द्वारा एथनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम (EBP) के अधीन एथनॉल की खरीद में सहकारी चीनी मिलों को निजी कंपनियों के समरूप रखा गया है ।

39. **मोलासस पर जीएसटी को 28% से घटाकर 5% किया गया:** सरकार ने मोलासस पर जीएसटी को 28% से घटाकर 5% करने का निर्णय लिया है जिससे सहकारी चीनी मिलें डिस्टिलरियों को उच्चतर दरों पर मोलासस की बिक्री करके अपने सदस्यों के लिए अधिक लाभ अर्जित कर सकेंगे ।

(ङ) राष्ट्रीय स्तर पर तीन नई बहुराज्य सहकारी समितियां

40. **प्रमाणित बीजों के लिए नई राष्ट्रीय बहुराज्य सहकारी समिति:** सरकार ने एकल ब्रांड नाम के तहत उन्नत बीजों की खेती, उत्पादन और वितरण के लिए अंब्रेला संगठन के रूप में बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के अधीन एक नई भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (BBSSL) की स्थापना की है । भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (BBSSL) ने रबी मौसम में अब तक 366 हेक्टेयर भूमि पर गेहूं, सरसों और दलहन (चना, मटर) के ब्रीडर बीजों का रोपण किया है । इसी प्रकार खरीफ मौसम के दौरान 148.26 हेक्टेयर भूमि में धान, मूंग, सोयाबीन, मूंगफली, ज्वार और ग्वार के ब्रीडर बीजों का रोपण किया है । अब तक 11,714 पैक्स/सहकारी समितियां भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (BBSSL) की सदस्य बन गई हैं ।

41. **जैविक कृषि के लिए नई राष्ट्रीय बहुराज्य ऑर्गैनिक सहकारी समिति:** सरकार ने बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के अधीन एक अंब्रेला संगठन के रूप में प्रमाणित और प्रामाणिक जैविक उत्पादों के उत्पादन, वितरण और विपणन के लिए एक नई शीर्षस्थ बहुराज्य सहकारी समिति राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गैनिक्स समिति (NCOL) की स्थापना की है । अब तक 3,775 पैक्स/सहकारी समितियां राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गैनिक्स लिमिटेड (NCOL) की सदस्य बन गई हैं । राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गैनिक्स लिमिटेड (NCOL) द्वारा “भारत ऑर्गैनिक्स” ब्रांड के तहत अब तक 12 जैविक उत्पाद लॉन्च किए जा चुके हैं ।

42. **निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए नई राष्ट्रीय बहुराज्य सहकारी निर्यात समिति**: सरकार ने बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के अधीन सहकारी क्षेत्र से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अंब्रेला एजेंसी के रूप में एक नई शीर्षस्थ बहुराज्य राष्ट्रीय सहकारी समिति की स्थापना की है जिसे राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (NCEL) का नाम दिया गया है । अब तक लगभग 7,700 पैक्स/सहकारी समितियां राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड के सदस्य बन चुके हैं । NCEL द्वारा कुल 8,15,007 मेट्रिक टन की सामग्री का निर्यात किया गया है । इसमें 8,01,790 मेट्रिक टन चावल; 7,685 मेट्रिक टन प्याज; 4,507 मेट्रिक टन चीनी; 1,025 मेट्रिक टन गेहूं का निर्यात शामिल है ।

च. सहकारी समितियों में क्षमता निर्माण

43. **राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (NCCT) के माध्यम से प्रशिक्षण और जागरुकता निर्माण को प्रोत्साहन:** अपनी पहुंच को विस्तारित करते हुए राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (NCCT) ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 2,21,478 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित करने के लिए 3,619 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन किया । एनसीसीटी ने अप्रैल से जून, 2024 के दौरान 453 कार्यक्रमों के तिमाही लक्ष्य की तुलना में 494 कार्यक्रमों का संचालन किया है और 10,875 प्रतिभागियों के लक्ष्य की तुलना में 19,591 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रदान किया है ।

44. **सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना:** सहकारी शिक्षा, प्रशिक्षण, परामर्श, अनुसंधान और विकास तथा प्रशिक्षित श्रमबल की संवहनीय और गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु सहकारिता मंत्रालय द्वारा सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए मंत्रिमंडलीय नोट तैयार किया गया है ।

छ. 'सुगम व्यवसाय' हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग

45. **केन्द्रीय पंजीयक के कार्यालय का कंप्यूटरीकरण:** बहुराज्य सहकारी समितियों के लिए डिजिटल परितंत्र सृजित करने हेतु केन्द्रीय पंजीयक के कार्यालय को कंप्यूटरीकृत किया गया है जिससे समयबद्ध तरीके से आवेदनों और सेवा अनुरोधों को संसाधित करने में मदद मिलेगी।

46. **राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों की सहकारी समितियों के पंजीयक कार्यलयों के कंप्यूटरीकरण की योजना:** सहकारी समितियों के लिए 'सुगम व्यवसाय' में वृद्धि तथा सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में पारदर्शी कागज-रहित विनियमन हेतु एक डिजिटल परितंत्र के सृजन के लिए सहकारी समितियों के पंजीयक कार्यालयों को कंप्यूटरीकृत करने की केंद्रीय प्रायोजित परियोजना को सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है । राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को हार्डवेयर की खरीद, सॉफ्टवेयर के विकास, इत्यादि के लिए अनुदान प्रदान किया जाएगा ।

47. **कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (ARDBs) का कंप्यूटरीकरण:** दीर्घकालिक सहकारी ऋण संरचना को सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा 13 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में फैले कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (ARDBs) की 1,851 इकाइयों के कंप्यूटरीकरण की परियोजना को अनुमोदित किया गया है । नाबार्ड इस परियोजना का कार्यान्वयन एजेंसी है जो कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (ARDBs) के लिए राष्ट्रीय स्तर के सॉफ्टवेयर का विकास करेगा । इस परियोजना के अधीन हार्डवेयर, लीगेसी डेटा के डिजिटलीकरण, कर्मचारियों के प्रशिक्षण, इत्यादि हेतु सहयोग प्रदान किया जाएगा । अब तक 10 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं । इसके अलावा हार्डवेयर की खरीद, डिजिटलीकरण और सपोर्ट सिस्टम स्थापित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 और वित्तीय वर्ष 2024-25 में 8 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को भारत सरकार के हिस्से के रूप में 4.26 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं ।

ज) अन्य पहलें

48. **प्रामाणिक और अद्यतित डेटा संग्रहण हेतु नया राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस**: राज्य सरकारों के सहयोग से देश में सहकारी समितियों का एक डेटाबेस तैयार किया गया है जो देश भर में सहकारी समितियों से संबंधित कार्यक्रमों/योजनाओं हेतु नीति निर्माण और कार्यान्वयन में हितधारकों के लिए सहायक होगा । इस डेटाबेस में अब तक लगभग 8.09 लाख सहकारी समितियों के डेटा संग्रहित किए गए हैं ।

49. **नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति का निर्माण:** 'सहकार से समृद्धि' की परिकल्पना को साकार करने हेतु एक जीवंत परितंत्र के सृजन के लिए देश भर से लिए गए 49 सदस्यों और हितधारकों को शामिल करके नई राष्ट्रीय सहकारी नीति के निर्माण के लिए एक राष्ट्र-स्तरीय समिति का गठन किया गया है ।

50.बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2023: 97वां संविधान संशोधन के उपबंधों को अंतर्विष्ट करने और बहुराज्य सहकारी समितियों में शासन सशक्त करने, पारदर्शिता व उत्तरदायित्व बढ़ाने, निर्वाचन प्रक्रिया में सुधार करने के लिए बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 में संशोधन किया गया है ।

51.GeM पोर्टल पर सहकारी समितियों को 'क्रेता' के रूप में शामिल करना: सरकार ने सहकारी समितियों को जेम पर 'क्रेता' के रूप में पंजीकृत होने की अनुमति प्रदान कर दी है जिससे वे किफायती खरीद एवं अधिक पारदर्शिता के साथ लगभग 67 लाख वेंडरों से माल और सेवाओं की खरीद कर सकेंगे । GeM पोर्टल पर 'क्रेता' के रूप में अब तक 559 सहकारी समितियां ऑनबोर्ड हो चुकी हैं ।

52.राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) की व्यापकता और पहुंच का विस्तारण: NCDC ने विभिन्न क्षेत्रकों में नई योजनाएं शुरू की है जैसे स्वयं सहायता समूहों के लिए 'स्वयंशक्ति सहकार', दीर्घकालिक कृषि ऋण के लिए 'दीर्घावधि कृषक सहकार' और डेयरी के लिए 'डेयरी सहकार' । वित्तीय वर्ष 2023-24 में NCDC द्वारा 60,618.47 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता का संवितरण किया गया है । वित्तीय वर्ष 2024-25 में NCDC ने 19,287.17 करोड़ रुपए का संवितरण किया है । भारत सरकार ने NCDC को विनिर्दिष्ट नियमों और शर्तों पर, सरकारी गारंटी के साथ 2000 करोड़ रुपए मूल्य के बॉन्ड जारी करने की अनुमति प्रदान की है । इसके अलावा, NCDC द्वारा पूर्वोत्तर के 6 राज्यों- अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा में उप-कार्यालय स्थापित किया जा रहा है जिसका उद्देश्य विभिन्न राष्ट्रीय योजनाओं को उनकी सहकारी समितियों के डोरस्टेप पर ले जाना है ।

53.गहरे समुद्री ट्रॉलरों के लिए एनसीडीसी द्वारा वित्तीय सहायता: मत्स्य पालन विभाग, भारत सरकार के समन्वय से NCDC द्वारा गहरे समुद्री ट्रॉलरों से संबंधित परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है । NCDC द्वारा विभिन्न वित्तीय सहायता अनुमोदित की गई हैं, जैसे महाराष्ट्र में 20.30 करोड़ रुपए की ब्लॉक लागत पर 14 गहरे समुद्री ट्रॉलरों की खरीद के लिए 11.55 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता, 46.74 करोड़ रुपए की ब्लॉक लागत पर समुद्री खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए राजमाता विकास मच्छीमार सहकारी संस्था लिमिटेड, मुंबई को 37.39 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता, केरल सरकार की इंटिग्रेटेड फिशरीज़ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (IFDP) के लिए 32.69 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता और 36.00 करोड़ रुपए की ब्लॉक लागत से 30 गहरे समुद्री ट्रॉलरों की खरीद के लिए श्री महावीर मच्छीमार सहकारी मंडली लिमिटेड, गुजरात के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है ।

54.सहारा समूह की समितियों के निवेशकों को रिफंड: सहारा समूह की सहकारी समितियों के वैध जमाकर्ताओं को पारदर्शी रीति से भुगतान करने हेतु एक पोर्टल का शुभारंभ किया गया है । उनकी जमाराशि और दावों के साक्ष्य की प्रस्तुति एवं उचित पहचान के पश्चात् संवितरण का कार्य आरंभ हो चुका है ।

*****

अनुलग्नक-II

CSC के रूप में ऑन-बोर्डेड पैक्स/लैंप्स की स्थिति (14 जुलाई 2024 तक)

क्र. सं.	राज्य	CSC पर ऑन-बोर्डेड पैक्स की संख्या	CSC के रूप में कार्यरत पैक्स
कुल (क+ख)		**52,877**	**37,169**
1	आंध्र प्रदेश	1,957	1,863
2	अरुणाचल प्रदेश	16	8
3	असम	691	614
4	बिहार	5,772	2,801
5	छत्तीसगढ़	1,864	865
6	गोवा	38	33
7	गुजरात	3,240	1,855
8	हरियाणा	431	196
9	हिमाचल प्रदेश	1,130	775
10	झारखंड	1,522	1,045
11	कर्नाटक	2,567	1,174
12	केरल	65	11
13	मध्य प्रदेश	4,191	2,711
14	महाराष्ट्र	8,706	5,271
15	मणिपुर	59	19
16	मेघालय	92	74
17	मिजोरम	25	13
18	नागालैंड	15	7
19	ओडिशा	1,934	582
20	पंजाब	1,167	842
21	राजस्थान	5,545	5,023
22	सिक्किम	44	25
23	तमिल नाडु	4,453	4,453
24	तेलंगाना	717	473
25	त्रिपुरा	206	149
26	उत्तराखंड	631	624
27	उत्तर प्रदेश	5,170	5,122
28	पश्चिम बंगाल	53	30
उप-कुल (क)		**52,301**	**36,658**

क्र. सं.	केंद्र शासित प्रदेश	CSC पर ऑन-बोर्डेड पैक्स की संख्या	CSC के रूप में कार्यरत पैक्स
1	*अंडमान* और निकोबार द्वीप समूह	10	3
2	जम्मू और कश्मीर	521	470
3	लद्दाख	9	7
4	पुडुचेरी	25	23
5	दादरा एवं *नगर* हवेली तथा दमण एवं दीव	11	8
उप-कुल (ख)		**576**	**511**